कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद हरिद्वार

उत्तराखण्ड शासन

फोन न0 : 01334–239902, फैक्स न0 : 01334–239610

ई–मेल आई0डी0 : cmoharidwar@rediffmail.com, ntcpharidwar@gmail.com

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

पत्रांक–4675 /एन0टी0सी0पी0/2020–21/ दिनांक–11.11.2020

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरिद्वार।

सेवा में,

जिला पर्यटन अधिकारी,
जिला पर्यटन विभाग,
जनपद हरिद्वार।

विषयः– हरिद्वार कुम्भ मेला–2021 को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु सहभागिता के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि जनमानस में तम्बाकू उत्पादों के सेवन करने से विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करने से आम जनता को सेकंड हैंड स्मोक का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष लोगों को जान गवानी पड़ती है, सेकंड हैंड स्मोक के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में कोटपा अधिनियम–2003 के मानकों के अनुरूप किसी भी सार्वजनिक स्थान(होटल, गैस्ट हाऊस,)/संस्थान कार्यालयों में तम्बाकू का सेवन निषेध है।

किसी भी सार्वजनिक संस्थानों को धूम्रपान मुक्त करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को पूर्ण होना अनिवार्य हैः–

कार्यालय/होटल के मुख्य द्वार पर धूम्रपान निषेध का पोस्टर लगाना चाहिए(60 सेमी0X 30 सेमी0) जिसमें संस्थान के मुख्य या उसके द्वारा नामित कोई अधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष न0 लिखा होना चाहिए।

संस्थान के हर मंजिल में धूम्रपान निषेध के साइनेज/पोस्टर लगे होने चाहिए।

वर्तमान में कोइ सिगरेट या बीड़ी पीता ना पाया जाये।

अतीत में धूम्रपान का प्रमाण–सिगरेट और बीड़ी के ठुंठे, धूम्रपान की गंध, माचिस की तीली इत्यादि नहीं मिलनी चाहिए।

अतः आप से निवेदन है कि कोटपा अधिनियम–2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने विभाग को स्मोक फ्री करने का कष्ट करें साथ की पर्यटन विभाग के अन्तर्गत आने वाले सभी होटलों, गैस्ट हाऊस और अन्य सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाने में सहयोग अपेक्षित है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद हरिद्वार।

पत्रांक– /एन0टी0सी0पी0/ 2020–21

प्रतिलिपि : निम्नलिखित की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित हैः–

01 जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार।
02 मेला अधिकारी, महोदय, हरिद्वार।
03 अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एन0सी0डी0, हरिद्वार।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद हरिद्वार।

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद हरिद्वार

फोन न0 : 01334–239902, फैक्स न0 : 01334–239610
ई–मेल आई0डी0 : cmoharidwar@rediffmail.com, ntcpharidwar@gmail.com

NATIONAL HEALTH MISSION

पत्रांक– /एन0टी0सी0पी0/2020–21/ 4678 दिनांक–11.11.2020

प्रेषक ,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरिद्वार।

सेवा में,

जिला परिवहन विभाग अधिकारी,
जनपद हरिद्वार।

विशयः– हरिद्वार कुम्भ मेला–2021 को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु सहभागिता के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि जनमानस में तम्बाकू उत्पादों के सेवन करने से विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करने से आम जनता को सेकंड हैंड स्मोक का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष लोगों को जानलेवा बीमारियों का शिकार होना पड़ता है।

जैसा कि आप जानते ही होंगे की 2021 में महाकुम्भ मेला शुरू होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में देश–विदेश से श्रद्धालुओं के आने की सम्भावना है। इसी सन्दर्भ में उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या–UKHGED/NHM/NCD/2016/NTCP Letters III/1975 दिनाँक 06.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि हरिद्वार कुम्भ मेला 2021 को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि कुम्भ मेला 2021 को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है।

उपरोक्त बिन्दुओं का कियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार सदैव तत्पर है।

अतः आप से अनुरोध है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपसे सहयोग अपेक्षित है।

1– परिवहन विभाग हरिद्वार के अन्तर्गत, विशेष कर कुम्भ मेला क्षेत्र हरिद्वार की परिवहन सेवाओं को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये।

2– कुम्भ मेले में यात्रियों की सुविधा के लिए चलने वाले ऑटो, टैक्सी, ई–रिक्शा इत्यादि में वाहन चालक और यात्री यात्रा करते समय पान, तम्बाकू, गुटखा एवं बीड़ी सिगरेट का सेवन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहे।

3– कोटपा अधिनियम–2003 के अनुसार कुम्भ मेला परिसर के अन्दर आने वाले सभी सार्वजनिक स्थल जैसे की सरकारी/गैरसरकारी बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड के मुख्य द्वारों पर धूम्रपान निषेध को पोस्टर (60 सेमी0 X 30 सेमी0) लगाया जाये।

4– तीर्थयान्रियो को जागरुक करने लिए लाउडस्पीकर ,पोस्टर , होडिंग आदि के द्वारा जागरुक करना ।

आपसे अनुरोध है कि कुम्भ मेला–2021 को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए आपके सहयोग अपेक्षित है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद हरिद्वार।

पत्रांक– /एन0टी0सी0पी0/ 2020–21

प्रतिलिपि : निम्नलिखित की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित है:–

01 जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार।
02 मेला अधिकारी, महोदय, हरिद्वार।
03 अपर मुख्यचिकित्सा अधिकारी, एन0सी0डी0, हरिद्वार।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद हरिद्वार।